फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी :–
सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी भोमसिंह वगैरह

प्रकरण संख्या :: 57 /2026
(जी0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2026 / 112)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/5/2026	अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पेश कर इस न्यायालय के प्रकरण संख्यां 42/2026 अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्तशुदा वाहन नम्बर RJ-19 GH 6519 को सुपुर्दगीनामें एवं जमानत पर रिलीज किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/5/26 को पेश हो। **अति. जिला कलक्टर एवं** **अति. जिला मजिस्ट्रेट,पाली**	
20.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। हस्तगत प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होने से अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21.05.2026 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली	
21.05.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, पाली द्वारा वाहन नम्बर आर.जे. 19 जी.एच. 6519 को अनुसंधान हेतु जब्त कर पुलिस थाना सदर, पाली को सुपूर्द पर दिया गया, जिसे जमानत एवं सुपूर्दगीनामें पर छोड़ने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त वाहन के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही वर्तमान में प्रारम्भ नहीं की गई है तथा तफतीश के दौरान उक्त विभाग को वाहन की आवश्यंकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी है एवं वर्तमान में वाहन पुलिस कस्टड़ी में खुले में बिना देखभाल के पड़ा है जिस कारण मशीनरी आदि के खराब होने का अन्देशा है। उक्त वाहन के अभाव में प्रतिदिन प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब्त वाहन को जमानत व सुपूर्दगीनामें पर प्रार्थी को प्रदान कराने के आदेश प्रदान करावे। हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार दिनांक 10.12.2025 को जिला रसद अधिकारी द्वारा मौके से व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, अवैध रिफिलिंग में प्रयुक्त सामग्री, उपकरण तथा एक वाहन बरामद किया गया। मौके की परिस्थितियों एवं जब्त सामग्री से यह स्पष्ट परिलक्षित हुआ कि उक्त परिसर	

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम भोमसिंह वगैरह प्रकरण संख्या 57 / 2026 जीसीएमएस नम्बर 2026 / 112	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, अवैध रिफिलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं एलपीजी आदेश के प्रावधानों का गम्भीर उल्लंघन है। बरामद लोडिंग वाहन का उपयोग उक्त अवैध गतिविधियों में गैस सिलेण्डरों के परिवहन, वितरण एवं संचालन हेतु किया जाना पाया गया, जिससे वाहन का अपराध से प्रत्यक्ष एवं अभिन्न सम्बन्ध स्थापित होता है। अतः उक्त वाहन केवल सामान्य सम्पत्ति न होकर अपराध में प्रयुक्त साधन (Instrumentality of Offence) एवं सम्भावित राजसात योग्य सम्पत्ति है। यह भी उल्लेखनीय है कि एलपीजी आदेश, 2000 के अन्तर्गत बिना वैधानिक प्राधिकार के एलपीजी गैस सिलेण्डरों का भण्डारण, परिवहन, रिफिलिंग अथवा व्यापारिक उपयोग प्रतिबंधित है। उक्त आदेश के क्लॉज 4, 6 एवं 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुमति अथवा अधिकृत वितरक हुए गैस सिलेंडरों का व्यापारिक उपयोग अथवा पुनर्भरण नहीं कर सकता। घटनास्थल से व्यासायिक सिलेण्डरों की बरामदगी यह प्रदर्शित करती है कि यह कार्य व्यक्तिगत उपभोग का नहीं होकर संगठित एवं व्यावसायिक स्तर पर संचालित अवैध गतिविधि थी। ऐसी स्थिति में प्रयुक्त वाहन को केवल स्वामित्व के आधार पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। साथ ही जिला रसद अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही प्रारम्भ कर प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। धारा 6ए के अनुसार यदि कोई वाहन आवश्यक वस्तुओं के अवैध भण्डारण, परिवहन अथवा कालाबाजारी में प्रयुक्त पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस वाहन को राजसात करने हेतु अधिकृत है। वर्तमान प्रकरण में बरामद व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की मात्रा, अवैध रिफिलिंग व्यवस्था एवं व्यावसायिक गतिविधि का स्वरूप यह प्रदर्शित करता है कि यह साधारण अथवा आकस्मिक घटना न होकर एक संगठित अवैध व्यापारिक गतिविधि प्रतीत होती है, जिसमें उक्त वाहन सक्रिय रूप से उपयोग में लिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 503 बीएनएस के आवेदन में मात्र वाहन स्वामित्व का आधार लिया गया है, किन्तु स्वामित्व का होना वाहन रिलीज का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार वाहन स्वामी पर यह विधिक भार है कि वह यह सन्तोषजनक रूप से सिद्ध करे कि वाहन का उपयोग उसकी जानकारी, सहमति अथवा मिलीभगत के बिना किया गया तथा अपराध रोकने हेतु उसके द्वारा सभी आवश्यक एवं युक्तियुक्त सावधानियां बरती गई थी। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्थापित हो सके कि वाहन का उपयोग स्वामी की जानकारी के बिना हुआ। इसके विपरीत, रिकॉर्ड पर उपलब्ध परिस्थितियाँ यह इंगित करती हैं कि वाहन का उपयोग नियमित एवं संगठित रूप से अवैध गैस परिवहन एवं वितरण गतिविधियों में किया जा रहा था।	

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम भोमसिंह वगैरह प्रकरण संख्या 57/2026 जीसीएमएस नम्बर 2026/112	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

यह भी विचारणीय है कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही वर्तमान में लम्बित है। जब किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है, तब सामान्य सुपूर्दगी सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग सीमित एवं सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त State of Karnataka vs k.A. Kunchindammed, (2002) 9 SCC 90 में यह प्रतिपादित किया है कि विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात न्यायालय की अन्तरिम सुपूर्दगी सम्बन्धी शक्तियां सीमित हो जाती है तथा वाहन को सुपूर्द करना सम्भावित जब्ती कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकता है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त State of West Bengal vs Sujit Kumar Rana, (2004) 4 SCC 129 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि जहा वाहन विशेष अधिनियम के अधीन जब्ती योग्य हो, वहाँ न्यायालय द्वारा वाहन रिलीज करने में अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त Divisional Forest Officer vs G.V. Sudhakar Rao, (1985) 4 SCC 573 में यह प्रतिपादित किया गया कि विशेष अधिनियम के अन्तर्गत जब्ती योग्य वाहन को अन्तिरम रूप से छोडना अधिनियम की मंशा एवं सार्वजनिक हित के विपरीत हो सकता है।

यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वूपर्ण है कि एलपीजी गैस अत्यधिक ज्वलनशील एवं खतरनाक पदार्थ है तथा अवैध रिफिलिंग एवं भण्डारण से गम्भीर दुर्घटना, आगजनी, विस्फोट एवं जनहानि की प्रबल सम्भावना रहती है। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी एवं कालाबाजारी को बढ़ावा देती है बल्कि आमजन के जीवन एवं सम्पत्ति के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करती है। अतः अपराध में प्रयुक्त वाहन को समयपूर्व छोड़ा जाना जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा के प्रतिकूल होगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन को वर्तमान अवस्था में सुपूर्द कर दिया जाता है तो उसके पुनः समान अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। साथ ही वाहन में उपलब्ध सम्भावित भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित है। वाहन छोड़े जाने पर उसके स्वरूप अथवा पहचान में परिवर्तन कर दिए जाने की सम्भावना भी बनी रहती है, जिससे भावी राजसात आदेश निष्प्रभावी हो सकता है। एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ है अतः उसका अवैध पुनर्भरण व्यापक जनसुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न करता है। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं अवैध वितरण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना राज्य की वैधानिक जिम्मेदारी है। अतः ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाना विधिक नियंत्रण व्यवस्था एवं लोकहित दोनों के प्रतिकूल होगा।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों, लम्बित जब्ती कार्यवाही, वाहन के अपराध में प्रत्यक्ष उपयोग, साक्ष्य सरंक्षण की आवश्यकता, जनसुरक्षा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम भोमसिंह वगैरह प्रकरण संख्या 57/2026 जीसीएमएस नम्बर 2026/112	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वर्तमान अवस्था में जब्तशुदा वाहन को अन्तरिम सुपूर्दगी पर छोड़ा जाना न्यायहित, लोकहित एवं विधि के अनुरूप नहीं होगा। परिणामस्वरूप हस्तगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली	